विचार बिन्दु

कृत्रिम सुख की बजाये, हमेशा ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिये। -अब्दुल कलाम

देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने संविधान की अवज्ञा की है

भारतीय संविधान दिनांक 26 जनवरी, 1950 से पूर्ण रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान को दुनियां के देशों के संविधानों से प्रेरणा व ज्ञान लेकर बनाया गया है; किन्तु उसकी आत्मा पूर्णतः भारतीय संस्कृति व दर्शन की है। भारतीय संविधान को, यदि आप समझना अथवा जानना चाहते हैं उसके प्रियम्बल (उद्देशिका) का विवेक के साथ अध्ययन करें। भारत के संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिये हैं, जिन्हें राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। नागरिकों को समानता का अधिाकर दिया है, जो जाति, धर्म, सेक्स भेद, रंगभेद से मुक्त होगा। गरिमा से जीने का अधिकार दिया है। सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार दिया है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकाार दिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में अल्पसंख्यक की परिभाषा यह कहकर की गई है कि अल्पसंख्यक वे कहे जावेंगे जिन्हें केन्द्र सरकार विज्ञप्ति जारी कर मानेगी। यह परिभाषा विवेक शून्य तो है कि किन्तु संविधान की अवज्ञा का प्रतीक है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासपना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठाा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा राष्ट्र की एकता और अखण्ड़ता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने लिये संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। भारत के लोगों ने भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणतंत्र बनाने का संकल्प लेकर भारत को संविधान अर्पित किया था। संविधान में 1976 में संशोधन कर उद्देशिका में 'प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' के स्थान पर 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' को प्रतिस्थापित किया था। यह नीति निदेशक तत्वों की अवज्ञा का परिणाम था। अनुच्छेद 6 से 10 में यह स्पष्ट किया है कि भारत का नागरिक कौन है, और उसे कैसे ग्रहण किया जा सकता है। संविधान में मूल अधिकारों का प्रयोग केवल नागरिक ही कर सकता है और केवल नागरिक ही मतदान कर सकता है। संविधान के तहत् रिट याचिका दायर कर ही अपने मूल अधिकार व संवैधानिक अधिकार का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। इस निर्देश को न मानना संविधान की अवज्ञा है।

संविधान के अनुच्छेद 45 में जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व है और जैसा यह अनुच्छेद 1950 के संविधान में स्थापित किया गया था उसके अनुसार राज्य को संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना था। यह प्रावधान यद्यपि चेप्टर 3 में है; किन्तु यह अनुच्छेद 37 का अपवाद है। यह प्रावधान नद मज रूं का है जो समय की सीमा में पूरा होता है, जैसे सूर्य का अस्त होना निश्चित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत् शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना है। टीएमए पाई फाउण्डेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट की वृहद पीठ ने स्पष्ट किया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुरूप शिक्षा का मूल अधिकार उच्च शिक्षा तक भी प्राप्त है, चाहे वह मेडिकल की हो अथवा इंजीनियरिंग। आजादी के बाद आज हम विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ चुके है।

संविधान में समय-2 पर संशोधन होते रहे हैं। शिक्षा के संबंध में अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 45 का उपयोग होता रहा है। यह स्थिति दिनांक 1 अप्रैल 2010 से पूर्व तक की रही है इसका उल्लेख ऊपर किया गया है। शिक्षा की पोलिसी को लेकर अनुच्छेद 21ए संविधान में नया अनुच्छेद perce yJeospeHepevepeHeJeo ;cHenerpeue.wHeie ~ GceokeâGceopeæ ।बज 2002 से जोड़ा गया और इसे दिनांक 01.04.2010 से लागू किया गया। इस अनुच्छेद 21ए के द्वारा छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिये उपबन्ध किया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 में संविधान (46वां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 3 द्वारा इसे दिनांक 01.04.2010 से प्रतिस्थापित (लागू) किया। संशोधित अनुच्छेद में शैशव पूर्व देखभाल तथा सभी बालकों के लिये उनके छः वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक शिक्षा के लिये उपबन्ध किया है। यहां एक और अधिनियम जिसका शीर्षक है lHenerpe Jeef yerHemekeâleceo peJe Llecece bokeâ yJeGÛevemesJeleue ckeâveyebpeHeJeo ।बजए 2009 (meb#esHe cesb lpc ~yepe) लाया गया और इसे भी दिनांक 01.04.2010 से प्रतिस्थापित (लागू) किया गया। यह अनुच्छेद 21ए पर लागू है। इस आरटीई एक्ट में यह भी व्यवस्था है कि 25 प्रतिशत meerš Ûlece.ÛleHeGbleue में प्राइवेट स्कूल में c@w आदि के लिये पहली क्लास में आरक्षित की जावेगी। फण्ड की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर रहेगा।

उक्त प्रकार कानून लाने व संविधान में संशोधन से 14 वर्ष तक के बालकों को जो अधिकार 10 वर्षों तक के हेतु थे उन पर विपरीत असर हुआ। छः वर्ष तक के बालकों को जो शिक्षा का अधिकार था, वह छीन लिया गया यानी समाप्त कर दिया। उसे राज्य की सरकारों की दया पर छोड़ दिया गया। त्ज्म एक्ट आने से पूर्व प्राइवेट स्कूलों में Ûlece.ÛleHeGbleue शिक्षा छः वर्ष तक के बच्चों को दी जाती थी। सरकार के पास अर्थ के अभाव की बात की जाती है और कारण कुछ भी हो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है जहां छः से कम और 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा दी जा सके। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य है? यह सरकार की संविधान की खुली अवज्ञा है।

> **इस लेख का यह उद्देश्य नहीं है, आंदोलन में पक्ष व विपक्ष में कौन दोषी है कौन सच्चा व कौन झूठा है। लेखक केवल यह कहने का प्रयत्न कर रहा है कि देश में कोई भी सरकार रही हो, सभी ने संविधान की अवज्ञा की है।**

बिहार की आगामी चुनावों को लेकर wHl पर पर देश की संसद, देश की सड़कों और चुनाव आयोग के कार्यालय तक आंदोलन विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में हंगामें के रूप मे ंकर रहा है और संसद के प्रति अपने दायित्व को नहीं निभा रहा है। संसद के कार्यों मं बाधा डालना और सत्ता पक्ष को सांसदीय कार्यों को अन्जाम देने के कार्यों में रूकावट पैदा करना, किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अर्थात् विपक्ष के इस कृत्य को संविधान की अवज्ञा ही कहा जावेगा। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह स्पष्ट किया गया है, विधानसभा व लोकसभा के चुनावों में प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है और जो कम से कम 18 वर्ष की आयु का है वही व्यक्ति चुनाव में मदान का अधिकारी है और यह व्यक्ति होगा जिसने किसी निर्वाचन के मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का अधिकार प्राप्त किया है। चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 में विशिष्ट संविधानिक दायित्व दिया है और वह दायित्व है चुनावों के लिये नामावली तैयार करना, यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 327 व 328 में की गई है। बिहार में ैप्त के दौरान 65 लाख 40,000 तथाकथित मतदाताओं के नाम काटे गये हैं, जिनमें मृतक व वे व्यक्ति हैं जो अपना निवास छोड़ चुके हैं तथा वे लोग भी हैं जो यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं कि वे इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि वे बांग्लादेश या म्यांममार के लोग हैं जो भारत में अवैध रूप से घुसकर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को 30 दिन का समय प्रतिवेदन देने का दिया है, जहां वे अब भी कानूनी प्रमाण पेश कर साबित कर सकते हैं कि वे इस महान देश के नागरिक हैं और इस नाते उन्हें मतदान का अधिकार है।

जैसा ऊपर कहा है ैप्त की की वैधता की प्रश्न सुप्रीम कोर्ट मं चल रहा है। यही विवाद राज्य सभा व संसद में भी गूंज रहा है। संसद से निकलर इंडिया ब्लॉक का 'वोट चोरी' विरोध सड़कों पर आ चुका है।

इस लेख का यह उद्देश्य नहीं है, आंदोलन में पक्ष व विपक्ष में कौन दोषी है कौन सच्चा व कौन झूठा है। लेखक केवल यह कहने का प्रयत्न कर रहा है कि देश में कोई भी सरकार रही हो, सभी ने संविधान की अवज्ञा की है। चाहे वह मामला शिक्षा को हो अथवा वोटर्स लिस्ट बनाने का हो अथवा लोकसभा व राज्यों की विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण का रहा हो। संविधान के अनुच्छेद 334 में आरक्षण 10 वर्ष का था जो समय की अवधि के बाद स्वतः ही समाप्त होने वाला था; किन्तु वह 10 वर्ष की अवधि के बाद भी सरकार द्वारा जारी रखा गया और अनुच्छेद 334 में 23वां संविधान संशोधन 1969 में उसे 20 वर्ष किया और प्रत्येक 10 वर्ष बाद संशोधन किया जा रहा है। यह सर्वथा असंवैधानिक है; किन्तु संविधान की अवज्ञा इसी प्रकार प्रत्येक सरकार जो सत्ता में रही करती आ रही है।

यहाँ øeMve wHl का है। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है अपितु वोट चोरी की सच्चाई देश की जनता के सामने रखने की है। यह लडाई संविधान बचाने की है। यह लडाई 'एक व्यक्ति एक वोट' की लडाई है। यह नारा स्वंय ही संविधान की अवज्ञा का घोतक है। दिनांक 12.08.2025 की बहस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि उसे ैप्त का अधिकार है वह संविधान व आर पी अधिनियम 1950 कानून के अनुसार कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि वोट देने के अधिकारी वोटर्स को मत देने से नहीं रोका जा रहा है और जिनके नाम काटे गये हैं उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का और मतदाता बनने का अधिकारी होने के बाबत यथोचित शहादत पेश करने का व सुनवाई का अवसर दिया जावेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ जिसके जस्टिस सूर्यकान्त व जस्टिस जॉय मॉल्या बागची न्यायाधीश हैं सुनवाई कर रहे हैं। बहस अभी (14.08.2025 तक) चल रही थी। इसका निर्णय शीघ्र होने की संभावना है। लेखक को केसेज के गुण दोषों पर कुछ नहीं कहना। इस लेख का अभिप्राय है कि जनता को यह स्पष्ट किया जावे कि सत्ता में बैठी सभी राजनीतिक पार्टियों ने संविधान की अवज्ञा की है। शिक्षा, विधान सभा की सीटों का भाषा के, चुनाव संबंधित प्रावधानों की अवज्ञा की है। विपक्ष संविधान की जो पुस्तक लेकर 'संविधान बचाओ' आन्दोलन की बात कर रहा है वह पुस्तक सम्भवतः 2-3 वर्षों पूर्व तक उन्हें संशोधनों के अपने में अंगीकृत किये हुये हैं। पुस्तक उस संविधान को प्रस्तुत नहीं करता जो दिनपांक 01.04.2010 से पूर्व था अथवा 26.01.1960 के पूर्व में था या जो 23.01.1970 से पूर्व था। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधत्व का कतिपय अवधि के पश्चात् नकहने से सम्बन्धित है यानी ÛleJeDeHesHeJeo serbmeme yecebsce peJe erbDece bo ceefefceyepe Jeo peerce ceieÛeHelebpeHeJeo Jeef b ÛeceleHeJekeâ Jeef ... uecebles प्रारम्भ में यह 10 वर्ष था अब इसे अवधि को 80 ल्मंते कर दिया गया है।

यानी प्रारम्भिक अवधि को प्रत्येक 10 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। संविधान की अवज्ञा का इससे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। इसने हजारों लोगों को चुनाव में खड़े होने से रोका है। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 की 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा न देकर सरकार ने संविधान की अवज्ञा ही नहीं की है अपितु पाप किया है इसके फलस्वरूप आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हमें पढ़े लिखे व सही समझ वाले सही सांसद, विधायक व पंच, सरपंच नहीं चुन पाये हैं। संविधान कहता है हिन्दी राजभाषा (राष्ट्रभाषा) होगी और संविधान लागू होने के 15 वर्ष पश्चात् हिन्दी राजभाषा होकर संसद की भाषा हुई है आप स्वंय अनुच्छेद 120 को पढ़कर यह अर्थ निकाल सकते हैं। आइये मिलकर हम देश के लोग यह घोषणा करें कि हम संविधान का पालन करेंगे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। सबको सन्मति दे भगवान!

-अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

जयपुर मंडल रेल प्रबंधक ने फुलेरा जंक्शन पर निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया

फुलेरा, (निसं)। जयपुर मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन गुरुवार को मंडल स्तरीय रेल अधिकारियों के साथ विशेष निरीक्षण रेलयान गाड़ी से फुलेरा पहुंचे, जहां फुलेरा के रेल अधिकारी डीएमई रोहित मीना, एडीईएन श्याम सुंदर गर्ग, स्टेशन अधीक्षक सतीश कुमार ने पहली बार फुलेरा आगमन पर डीआरएम रवि जैन को बुके देकर स्वागत सत्कार करते हुए अगुवाई की। डीआरएम रवि जैन ने फुलेरा के रेल अधिकारियों से रूबरू होते हुए चार नंबर प्लेटफार्म के रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचकर रेलवे यार्ड का निरीक्षण करते हुए स्थानीय रेल अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए उन्हें उचित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए।

डीआरएम ने प्लेटफार्म नंबर 3 का निरीक्षण के दौरान स्टेशन टीन सेड, पानी निकास नालियों तथा आरपीएफ थाने का तथा स्टेशन का निरीक्षण करते हुए मिली कमियों के बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर फुलेरा जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष सुबोध छाबड़ा के नेतृत्व में विमल काला, महेश रावंका, राकेश जैन सहित अन्य लोगों ने डीआरएम जैन का माला व साफा बंधवाकर स्वागत किया। इसके बाद डीआरएम ने सेंट्रल लॉबी का निरीक्षण किया तथा प्लेटफार्म नंबर दो के निरीक्षण के बाद अमृत भारत योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया जहां उचित दिशा निर्देश देने के बाद रेलवे रनिंग रूम का निरीक्षण करने के बाद जलपान ग्रहण किया और अपने गंतव्य के लिए रेल निरीक्षण यान से अपने लवाजमें के साथ रवाना हुए। इस अवसर पर एडीआरएम संजीव दीक्षित, सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल, सीनियर डीपीओ सत्येंद्र

जयपुर मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन का फुलेरा में रेल अधिकारियों ने स्वागत किया।

यादव, वरिष्ठ मंडल ईई विजयसिंह चौधरी, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता (सीएंडडब्लू) प्रमोद रावत, फुलेरा स्टेशन मास्टर सतीश कुमार सहित अन्य स्थानीय रेल अधिकारी मौजूद रहे।

जन्माष्टमी पर्व को सार्थक करने के लिये भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करें

डॉ. जे. के. गर्ग

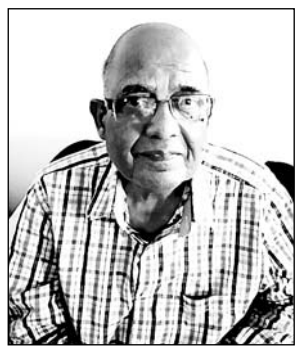

भगवान कृष्ण की उपासना के पर्व जन्माष्टमी पर हमारी पूजा अर्चना तभी सार्थक होगी जब हम भगवान के उपदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लें और उनके बताए रास्ते पर चलें। कृष्णमय हो कर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। सनातन धर्म के अनुयायीयों के मतानुसार जब जब इस धरा पर राक्षसों और क्रूर शासकों के जुल्म और अत्याचार चरम सीमा तक बढ़ जाते हैं और जब सत्य पर असत्य, विनम्रता पर अहंकार, नैतिकता परअनैतिकता, सहिष्णुता पर असहिष्णुता, न्याय पर अन्याय और धर्म पर अधर्म हावी हो जाता है, तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु खुद सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते है। इसी कड़ी में भारत की पावन भूमी पर स्वयंभगवान विष्णु अपनी सोलह कलाओं के साथ आठवें अवतार के रूप में भाद्रपदमास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में क्रष्ण के रूप में अवतरित हुए थे।

भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों सरल भाषा में समझाते हुवे निष्काम भाव से सात्विक कर्म करके उन्हें परमात्मा को समर्पित करने कहा था। कृष्ण ने केवल उपदेश ही नहीं दिए ,उन्होंने उनको साकार कर भी दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है वेसे ही उनका जीवन भी। भगवान ने बताया कि रिश्ते कैसे निभाये जाते हैं। अपने जीवन को कैसे प्रेममय बनाया जाता है और जीवन के उतार चड़ाव कासामना मुस्कराते हुये कैसे किया जाता है। भगवान कृष्ण ने हमको समझाया कि हम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हैं? आत्मा अविनाशी और अमर है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा, वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। ध्यानपूर्वक सुनो तुम्हारा क्या गया गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे, जो तुमने खो दिया? तुमने क्या लाये हो जो नष्ट हो गया है? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया। जो दिया, यहीं पर दिया। जो लिया, भगवान से लिया। जो दिया भगवान को दिया। इंसान खाली हाथ आया और खाली हाथ जायेगा। जो आज तुम्हारा है, कल किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ कर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। विश्वास रखों परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन हैं। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहे को जनता है वह भय, चिन्ता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे, भगवान को अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुमको सदा का आनंद अनुभव होगा।

इस जन्माष्टमी भगवान की उपासना करते हुये उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। कर्तव्य परायणता की यही शिक्षा श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के माध्यम से अर्जुन को दी थी, जो युद्ध भूमी में अपने स्वजनों की संभावित मृत्यु के भय से दुखी होकर अपने क्षित्रय धर्म एवं कर्तव्य से मुहँ मोड़ कर युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। भगवान ने बतलाया कि एक क्षण में तुम करोडो के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा -तेरा, छोटा-बड़ा, अपना-पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा हैं, तुम सबके हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसमें ही में मिल जाएगा। परन्तु आत्मा स्थिर हैं अविनाशी है तुम नाशवान शरीर नहीं हो तुम तो अविनाशी आत्मा हो तुम अपने आपको भगवान को अर्पित करो। निसंदेह गोवर्धन कान्हा के सम्पूर्ण जीवन काल में कर्म की ही प्रधानता रही थी। भगवान कृष्ण ने हमें बताया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात् पुनर्जन्म भी निश्चित है प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को असत्य, विनम्रता पर अहंकार, नैतिकता परअनैतिकता, सहिष्णुता पर असहिष्णुता, न्याय पर अन्याय और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों सरल भाषा में समझाते हुवे निष्काम भाव से सात्विक कर्म करके उन्हेंपरमात्मा को समर्पित करने कहा था। कृष्ण ने केवल उपदेश ही नहीं दिए ,उन्होंने उनको साकार कर भी दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है वेसे ही उनका जीवन भी।

याद रखें कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें तो जो मनुष्य अपने अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह असली योगी है। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है, और न कर्मों से घृणा करता है, वह मनुष्य ही वास्तव के अंदर संन्यासी है। जीवन न तो भविष्य में है ना अत। जो विद्वान् होते है, वो न तो जीवन के लिए और न ही मृतक के लिए शोक करते है। हे अर्जुन! परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवद गीता के अनुसार नरक के तीन द्वार होते है, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य को इन तीनों से बचना चाहिए।

कर्मकाण्ड पूजा अर्चना का अपना महत्व है। किंतु अगर साधारण आदमी कृष्णमय बन कर भगवान के उपदेशों को मूर्त रूप देने की आत्मशक्ति प्राप्त कर ले तो सच्चाई में यही भगवान की सच्ची उपासना होगी।

- डॉ. जे. के. गर्ग
पूर्व संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा जयपुर

वीर दुर्गादास जयंती पर प्रतिभाओं का सम्मान किया

- **निम्बार्काचार्य श्रीजी महाराज के सानिध्य में वीर दुर्गादास जयंती मनाई**
- **कार्यक्रम में वक्ताओं ने वीर दुर्गादास के जीवन चरित्र से सीख लेकर अपने जीवन में उतारने का आव्हान किया**

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। राजपूत सभा समिति की ओर से जगतगुरु निंबार्काचार्य पीठाधीश्वर श्यामशरण देवाचार्य श्रीजी महाराज के सानिध्य में वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई।

संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत, राज्य खेल परिषद सचिव राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, नगर परिषद सभापति दिनेश सिंह राठौड़, उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ कुलदीप सिंह शेखावत, उपखंड अधिकारी मसूदा दीपशिखा कालवी, पार्षद अजमेर देवेंद्र सिंह शेखावत अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्रीजी महाराज ने कहा कि वीर दुर्गादास राठौड़ स्वाभिमान भक्ति, राष्ट्र भक्ति के साथ भागवत भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने वीर दुर्गादास को भारत भूमि के आदर्श की उपाधि दी।

समारोह में शिक्षा, खेल व राजकीय सेवाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाली सौ से अधिक प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया।

संभागीय आयुक्त शक्तिसिंह राठौड़ ने कहा कि वीर दुर्गादास राठौड़ जैसा योद्धा विश्व के इतिहास में नहीं हुआ। विधायक देवीसिंह शेखावत ने कहा कि सदियां बीत जाने के बाद वीर दुर्गादास जैसा महापुरुष पैदा होता है। सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया, मसूदा उपखंड अधिकारी दीपशिखा कालवी, सभापति दिनेश सिंह, अजमेर पार्षद देवेंद्र सिंह ने वीर दुर्गादास के जीवन चरित्र से सीख लेकर अपने जीवन में उतारने का आव्हान किया।

खुखाराज परिवार के यदुनाथ सैन, ओजस्वी वक्ता श्यामसुंदर टेलर ने भी अपने विचार व्यक्त किये। अध्यक्ष उदय सिंह राठौड़ तोलामाल ने जयंती समारोह पर प्रकाश डाला। समारोह में शिक्षा, खेल व राजकीय सेवाओं में उत्कर्ष परिणाम प्राप्त करने वाली सौ से अधिक प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया। संचालन अतिरिक्त विकास अधिकारी शक्ति सिंह राठौड़ ने किया। सचिव सुमेर सिंह राठौड़, संरक्षक व पूर्व विधायक जगजीत सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एडवोकेट किशोर सिंह उरसेवा, समरथ सिंह तीत्यारी, शिवसौरभ सिंह, जयदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे।

राशिफल शुक्रवार 15 अगस्त 2025

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम सम्वत 2082, अश्विनी नक्षत्र प्रातः 7।36 तक, गड़योग दिन 10.16 तक, गरण करण दिन 3.16 तक, च्न्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-मेष, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, कुम्भ-केतु राशि में संचार करेगा।

आज सवार्थ सिद्धि और रवियोग प्रातः 7.36 से रात्रि 11.50 तक है। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (स्मार्ती) है। श्रीकृष्ण जयंती थाड़ी पर्व (सिन्धी) है। आज जीवंतिका पूजन, पारसी नूतन वर्ष (नवरोज) आरम्भ है। आज भारतीय स्वतंत्रता दिवस है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चट-सूर्योदय से 2.39 तक, लाभ-अमृत 7.39 से 10.54 तक, शुभ 12.31 से 209 तक, चट 5.23 से सूर्यास्त तक

राहूकाल: 10.30 से 12.00 तक, सूर्योदय 6.02 सूर्यास्त 7.01

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। पारिवारिक परेशानियों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि हो सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या
आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

तुला
आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।